

प्रावक्थन

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ की कम्पनियों एवं सांविधिक निगम की 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अधीन सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट) के द्वारा सत्यापित लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा सीएजी के अधिकारियों द्वारा की जाती है तथा सीएजी अपनी टिप्पणी देता है या सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को पूरकता प्रदान करता है। इसके अलावा, इन कम्पनियों की नमूना लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा—शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19—अ के प्रावधानों के अधीन सरकारी कम्पनियों या निगमों के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सीएजी द्वारा शासन को दिए जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लेखित हैं जो वर्ष 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा में ध्यान में आए तथा वे भी जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए, परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में शामिल नहीं थे। 2015–16 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों को ध्यान में रखकर की गई है।